भारत सरकार
महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय
सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली:110 003

संख्या–डी–15012/3/2011–रो0 एवं सा0
दिनांक : 29.11.2011

विषय : <u>विभिन्न प्रकार की मोहरें तथा नाम पट्टिकाएं बनाने के लिए निविदाएं!</u>

1. नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली के लिए खरीदे जाने वाले प्रस्तावित निम्नलिखित मद (मदों) के लिए कृपया न्यूनतम दर/दरें तथा सुपुर्दगी के लिए कम से कम समय दिनांक 23.12.2011 या इससे पहले उद्धत करें।

2. पैकिंग तथा प्रेषण प्रभार, यदि कोई हो, तो आपकी क्वोटेशन में अलग से इंगित किया जाना चाहिए।

3. कृपया यह उल्लेख करें कि आप भारत सरकार के विभागों/कार्यालयों के साथ कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

4. **कृपया इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आपको किसी सरकारी कार्यालय ने इस कार्य के लिए अघोषित तो नहीं किया है।**

5. कृपया पिछले तीन साल के वार्षिक लेनदेन का ब्यौरा प्रस्तुत करें।

6. आपकी क्वोटेशन मोहरबंद लिफाफे में श्री एम.सी. पाण्डे, उप निदेशक (प्रशासन), महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली–110 003 के नाम से भेजी जानी चाहिए।

7. लिफाफे के उपर विभिन्न प्रकार की मोहरें एवं नाम पट्टिका के लिए निविदाएं के लिए क्वोटेशन अंकित किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	**वस्तुओं का विवरण**
1.	कम्प्यूटरीकृत रबड़ की मोहरें (सेल्फ इंकिंग टाइप/स्पेशल टाइप) 01 से 10 लाइनें तथा 01 से 15 लाइनों की मोहर के लिए अलग–अलग रेट अंकित करें।
2.	रबड़ की मोहर 01 से 05 लाइन, 01 से 10 लाइन तथा 01 से 15 लाइनों की मोहरों के लिए हैंडल सहित अलग–अलग रेट अंकित करें।
3.	सेल्फ इंकिंग मोहर केस सहित 01 से 08 लाइन तथा 01 से 15 लाइनों की मोहर के लिए अलग–अलग रेट अंकित करें (स्टेम्प केस के साथ)।
4.	ब्रास नाम पट्टिका 12'' x 4'' कम्प्यूटरीकृत लिखाई सहित रेट अंकित करें।
5.	प्लास्टिक नाम पट्टिका 12'' x 4'' लिखाई सहित रेट अंकित करें।
6.	प्लास्टिक नाम पट्टिका 15'' x 6'' लिखाई सहित रेट अंकित करें।
7.	तारीख वाली स्टेम्प के लिए रेट अंकित करें।

कार्य आदेश मिलने की तारीख से 07 दिन के भीतर फर्म को कार्य पूरा करना होगा। कृपया उच्च कोटि की मोहरें जिनकी इंक बिल्कुल न फैले, फर्म द्वारा देनी होगी। अगर फर्म द्वारा सप्लाई की गई मोहरें उच्च कोटि की नहीं पाई गई तो फर्म द्वारा उन्हें दोबारा बनवाना होगा जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

फर्म द्वारा सप्लाई की गई नाम पट्टिकाओं तथा मोहरों की बनाई में अगर कोई गलती पाई गई तो फर्म द्वारा उन्हें निःशुल्क सुधारना होगा।

किसी भी फर्म की निविदा को बगैर कारण बताए निरस्त करने का अधिकार, महानिदेशक नागर विमानन के पास सुरक्षित रहेगा।

(एम.सी. पाण्डे)
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक नागर विमानन